अनुसूची 21 [प्रथम संशोधन - 1131

02066 संपत्ति अवभार प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र सं0 19 । आवेदन सं0 19

मैसर्स/श्री ने मेरे पास आवेदन किया है कि निम्नलिखित संपत्ति के संबंध के निर्वाधित संव्यवहारों और अवभारों का सर्वेक्षण प्रमाण-पत्र दिया जाय

(आवेदन में दिये गये ब्रेक्यों के अनुसार विवरण दें)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता/करती हूँ कि उक्त संपत्ति की जाँच करने वाले सर्वेक्षकों और अन्वेषकों के नाम से कहीं । से और उससे सम्बद्ध अनुक्रमणिकाओं से तारीख से तारीख तक तलाशी की गई और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला है :-

क्रम संख्या	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्रति के प्रति विवरण		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द सं0	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।

(ख) 1. बंधक-पत्र की दशा में ब्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। बशर्ते कि इनके बारे में
2. पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

For VIDHAS P. INFOTECH INDIA PVT. LTD.

Scanned by CamScanner

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहार और अवधारणों को छोड़, उक्त संपत्ति में प्रत्यर्पित कराने संबंधी किसी अन्य संव्यवहार और अवधारणा का पता नहीं चलता है।

जिस तारीख में तलाशी की और प्रमाण-पत्र तयार किए :

(हस्ताक्षर) : M. Imam Ansari

(पदनाम)

तलाशी का स्थानापन्न और प्रमाण-पत्र की जाँच जिस व्यक्तियों ने की 28/12/16

(हस्ताक्षर) :

(पदनाम)

कार्यालय अवर निबंधक, पुनलासी शरीफ, पटना

मुहर :

अवर निबंधक
पुनलासी शरीफ
28/12/16

टिप्पणी - इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहार और अवधारण दिखाये गये है वे आवेदक द्वारा दिये गये संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये है: यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं इन्हीं संपत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो तो वैसे दस्तावेजों में प्रमाणित संव्यवहार (दस्तावेजात) इस प्रमाण-पत्र में सम्मिलित न किये जायेंगे।

निबंधन अधिनियम की धारा 57 के अधीन ऐसे अंकित बहियों और अनुक्रमणिकाएँ (इन्डेक्स) में आवेदक द्वारा पाकार से अन्यथा [illegible] संपत्तियों के अवधारों के प्रमाण-पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। विहित शुल्क भुगतान करने पर बहियाँ और अनुक्रमणिकाएँ उनके सामने रख दी जायेंगी।

किन्तु चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय ने उ[illegible] तलाशी अपने मस्तक सव्यवहारों से की है। फिर भी, निबंधन प्रमाण-पत्र में दिये गये तलाश परिणाम की किसी भूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेदार नहीं होगा।

और चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और चूंकि उसके द्व[illegible] यह संव्यवहार और अवधारों को तलाशने के बाद प्रमाण-पत्र में दिया गया है। इसलिए आवेदक द्वारा न ढूंढे गये एसे संव्यवहारों और अवधारों को ढूंढ के लिए किसी भी तरह [illegible] न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

कार्यालय अवर निबंधक 28/12/16

प्रतिलिपि :- आवश्यक कार्यवाही हेतु, SBI, RAEPC पटना को प्रेषित

अवर निबंधक
पुनलासी शरीफ
पटना
28/12/16

Scanned by CamScanner